समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Saturday, 19 September 2026

फरीदाबाद के निजी स्कूल मे शिक्षिका की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी मे कैद हुई वारदात ; आरोपी दो घंटे मे गिरफ्तार

Sanket Morankar

Published on 04 Aug 2026

हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सिकरोना गांव स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार सुबह 29 वर्षीय शिक्षिका **संध्या** की स्कूल परिसर के बाहर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। यह पूरी वारदात स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को लगभग दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। एक युवक चेहरे पर मास्क लगाकर स्कूल परिसर में पहुंचा और स्कूल प्रशासन से शिक्षिका संध्या से मिलने की बात कही। सूचना मिलने पर जब शिक्षिका उससे मिलने स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचीं, तभी आरोपी ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरोपी पहले स्कूल की लॉबी में कुछ देर तक इंतजार करता दिखाई देता है। जैसे ही शिक्षिका वहां पहुंचती हैं, वह उन्हें बाहर आने का इशारा करता है। इसके बाद वह उनका गला पकड़कर बाहर खींचता है और उन पर लगातार चाकू से वार करने लगता है। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में घटित हुई। शिक्षिका के जमीन पर गिर जाने के बाद भी आरोपी हमला करता रहा और फिर मौके से फरार हो गया।

घटना के दौरान स्कूल में मौजूद कर्मचारियों और विद्यार्थियों में अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर स्कूल के प्रशासक बाहर पहुंचे और उन्होंने शिक्षिका को बचाने का प्रयास किया। बताया गया कि आरोपी ने उन्हें भी चाकू दिखाकर धमकाया, जिसके कारण वे कुछ क्षण के लिए पीछे हट गए। इसी दौरान आरोपी मौके से बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर फरार हो गया।

हमले के तुरंत बाद घायल शिक्षिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में **21 वर्षीय अमित**, निवासी कोट गांव, को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से शिक्षिका का पीछा कर रहा था और उनसे बातचीत करने का प्रयास करता था। शिक्षिका ने उसकी हरकतों का लगातार विरोध किया था और उससे दूरी बनाए रखी थी। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले शिक्षिका ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई थी। उस समय आरोपी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था।

जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी इसी शिकायत से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें आरोपी की पूर्व योजना, घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य संभावित साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है।

घटना ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस स्कूल में यह वारदात हुई, वह पुलिस चौकी से अधिक दूरी पर नहीं है। इसके बावजूद आरोपी आसानी से स्कूल परिसर में प्रवेश करने और घटना को अंजाम देने में सफल रहा। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने स्कूलों में आगंतुकों की जांच, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत बनाने की मांग की है।

महिला सुरक्षा को लेकर भी यह घटना चिंता का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीछा करना (स्टॉकिंग), छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी शिकायतों को शुरुआती स्तर पर गंभीरता से लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाए तो ऐसी कई घटनाओं को रोका जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या और अन्य गंभीर अपराधों का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस स्कूल प्रशासन, कर्मचारियों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है।

फरीदाबाद की यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कितनी आवश्यक है। पुलिस का कहना है कि मामले में शीघ्र ही आरोपपत्र दाखिल कर आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.